

2015/00015

Reader - I

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 07/2015

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री शिवराम पिता श्री
मथुरालाल शुक्ला जाति
ब्राम्हण नि. बड़ोदिया तहसील
बागीदौरा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंटस:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, कार्यालय-बी 59, बापु नगरा, पश्चिम रोड नं. 5, सेती, चित्तोड़गढ़।
2. तहसीलदार, बागीदौरा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा।

उपस्थित

श्री हीरालाल जैन,

श्री भगवत पुरी,

-अधिवक्ता प्रार्थी

- अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28,
29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :- 18-12-2017


मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 2386 रकबा 0.1611 हैक्टर मौजा ग्राम बड़ोदिया में स्थित है। कदिमाना समय से प्रार्थी व उनके पूर्वजों के कब्जे काशत की होकर उक्त भूमि का स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थी के अनन्य कब्जे का है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा ने अपने आदेश / अवाई संख्या 11-12 दिनांक 06-06-2014 से पाड़ी से दाहोद सड़क एन.एच. 113 को चौड़ा करने एवं बायपास इत्यादि के निर्माण हेतु किमी 181.900 से 196.800 एवं 214.4000 से 224.500 किमी तक में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध में




भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

अवार्ड जारी किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड में प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि भूमि की मुआवजा राशि रूपया 822250/- प्रति हेक्टर की दर से कुल मुआवजा राशि रू0 132464/- स्वीकृत की गई है। जो प्रतिकर राशि की दर भी बाजार मूल्य से अत्यन्त न्यून निर्धारित किया गया है। उक्त अवार्ड में प्रार्थी को दी गयी प्रतिकर राशि को प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 का उक्त अवार्ड अविधिपूर्ण, मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है व प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति हैं तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करता है एवं प्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा अवार्ड का पुनः अवधारणा करना चाहता हैं। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर हितबद्ध व्यक्ति के नाम अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजरंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कुआ, कच्चा मकान, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्ष मौजूद हैं, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत अवार्ड में अंकित नहीं किया है व कोई राशि नहीं दिलाई है। अवाप्तशुदा भूमि पर मौजूद कच्चे मकान की किमत 100000/- है, तथा किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों की किमत 100000/- है। कृषि भूमि पर स्थित फलों के पेड़ों से प्रार्थी को प्रतिवर्ष 50000/-रू0 की आय होती है। किन्तु उक्त सभी तथ्यों को व परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो मनमाना व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किया जाने योग्य है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति- कच्चा मकान, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है तथा उक्त मामले में पुनः न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की प्रश्नगत अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं




 अध्यापक न्यायाधीश
 न्यायालय
 दिल्ली


परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तदनुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :-

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	कृषि भूमि रकबा 1 बीघा	1000000
2	कृषि भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां	250000
	योग	1250000
3	100% तोषण (सोलेशियम)	1250000
	योग	2500000

उक्तानुसार राशि रूपया 25.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण को नोटिस नहीं मिल पाने के कारण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए, तथा इसकी पैरवी नहीं की जा सकी। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जारी अर्वाड संख्या 11-12 दिनांक 06-06-2014 से असंतुष्ट होकर उक्तानुसार राशि रूपया 32.00 लाख मय ब्याज दिलाये जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया।


अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधिवत् जांच कराने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा उसकी विधिवत् जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर पेश की जाती है और कानून के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधिगृहण की गई भूमि के संबंध में अर्वाड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के आधार पर जारी किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अर्वाड में अप्रार्थी संख्या 1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार



का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अर्वाड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 06-06-2014 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में अर्वाड जारी किया गया है, तथा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र कानून के प्रावधानों के विपरीत काफी विलम्ब से पेश किया गया है, जो म्याद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। प्रार्थी ने जिन आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह भी मनमाने ढंग से राशि की मांग करने हेतु पेश किया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी अन्तिम अर्वाड जारी किया जाता है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 भुगतान कर सकता है। इससे परे किसी प्रकार की कोई रकम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, चित्तोडगढ के पत्रांक 36 दिनांक 12-04-2016 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवाप्ताधीन भूमि के हितबद्ध कृषक के खाते में 31-12-2014 तक मुआवजा राशि स्थानान्तरित नहीं की गई हो तो सम्पूर्ण प्रकरणों का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्रकरण में उक्त पत्र के सम्बन्ध में मुआवजा पुनः निर्धारण की कार्यवाही जारी है। प्रकरण में राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज.6/ 211 पार्ट दिनांक 14-06-2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वादी का संशोधित अर्वाड बनाकर मुआवजा राशि स्थानान्तरण हेतु परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भिजे जा चुके हैं।


दिनांक 18-12-2017 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी



भगवत प्रसाद
निष्ठा कलक्टर
चित्तोडगढ

किया जाता है कि उक्त अवाप्तशुदा कृषि भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना कर प्रार्थी के नाम से अवार्ड जारी किया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बित्तोड़गढ (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार पर प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



ds
 (गणेशी प्रसाद)
 जिला कलेक्टर
 बिसपड़ा